

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

सु.न. 8/12

तारीख रज. 10.2.12

उनवान - चिरंजी वर्ग 1/5 अजलाल

प्रार्थना-पत्र अस्थाई निवेद्याज्ञा

प्रार्थी की ओर से श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट ने प्रार्थना-पत्र अस्थाई निवेद्याज्ञा पेश किया। प्रार्थना-पत्र शपथ-पत्र, दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी वकील की एक तरफ बहस सुनी गई। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थी को आगामी सुनवाई तिथि तक अंतरिम अस्थाई से पाबंद किया जाता है कि ग्राम नौद तहसील टोडाभीम की ग्राम नंबर 984 रकबा 22 एपर, 985 रकबा 80 एपर, 986 रकबा 33 एपर, 987 रकबा 29 एपर एवं 982 रकबा 28 एपर में से ख.न. 986 के लगवा दक्षिण की ओर रकबा 19 एपर पर रिहार्ड एवं मोके की मर्यादा व नौदरे व प्रार्थी के कब्जे काश्त में मजामहत - मदाबलत नही करें। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर करें। अप्रार्थी को नोटिस जारी का पत्रावली दिनांक 5.3.12 को पेश हो।

275
13-2-12

उपस्थ अधिकारी
टोडाभीम, करौली (राजग)

5/12 प्रार्थी वकील उप.। अप्रार्थी की ओर से श्री रामभद्रासी गुहा एडवो. ने बकालतनामा पेश किया। वास्तविकता दिनांक 9.4.12 को पेश हो।

9/12 बार एसो द्वारा कार्य-वागत शखाग पार्थ P-O-माक निदिग के पद्वारे इहे गराउता। पत्रावली 7/5/12 को पेश हो।

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

14.2.19

पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। गतानुसार दिनांक 11.2.19 को पेश हो।

18.3.19

वकूलाय उपो/गतानुसार दि० 28.5.19 को पेश हो।

28.5.19

वकूलाय उपो/प्रकरण पर वकील अभयपक्ष को सुना गया। पार्थी वकील ने फरकार से वातांक आगामी कार्यवाही वाले समय-वाला। दिया गया। दिनांक 12.6.19 को पेश हो।

12.6.19

वकूलाय उपो/वकील ~~अभयपक्ष~~ को सुनाया गया। वहस दिनांक 2.7.19 को पेश हो।

2.7.19

वकूलाय उपो/गतानुसार वहस दिनांक 15.7.19 को पेश हो।

15.7.19

वकूलाय उपो/वादी वकील ने मूल दावा वापिस ले लिया है। इस कारण से अर्चना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में कार्यवाही जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। यह अर्चना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुभार होकर दावा पत्रावली के साथ सौंपने दे।

उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)